



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डब्ल्यू.बी.-अ.-27072026-274858
CG-WB-E-27072026-274858

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3934]

नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 25, 2026/श्रावण 3, 1948

No. 3934]

NEW DELHI, SATURDAY, JULY 25, 2026/SHRAVAN 3, 1948

रेल मंत्रालय

[दक्षिण पूर्व रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

कोलकाता, 22 जुलाई, 2026

का.आ. 4104(अ).— केन्द्रीय सरकार, रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 2 के खंड (7 क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से, नीचे सारणी के स्तम्भ (2) में यथा उल्लिखित विशेष रेल परियोजना की बाबत उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में उल्लिखित राज्य में निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन और परिचालन के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए सारणी के स्तम्भ (5) में उल्लिखित अधिकारी को प्राधिकृत करती है।

सारणी

क्रम सं.	विशेष रेल परियोजना का नाम	राज्य	प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र	सक्षम प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	चांडिल (गुंडाबिहार)- मुरी दोहरीकरण (59.49 किमी.)।	पश्चिम बंगाल (23.40 किमी.); झारखंड (36.09 किमी.)	जिला: पुरुलिया, पश्चिम बंगाल (23.40 किमी.)	अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (भूमि अधिग्रहण), पुरुलिया, पश्चिम बंगाल।

[फा. सं. दपूरे/निर्माण-संगठन/मुख्यालय/भूमि/ पीईसी द्वारा अनुशंसित परियोजनाएं/ सीएनआई(जीडीबीआर)- मुरी दोहरीकरण/एसआरपी/2]

हरि प्रकाश त्रिपाठी, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS

[South Eastern Railway (Construction Organization)]

NOTIFICATION

Kolkata, the 22nd July, 2026

S.O. 4104(E).— In exercise of the powers conferred by clause (7A) of section-2 of the Railways Act, 1989 (24 of 1989), the Central Government hereby authorizes the officer mentioned in column (5) of the Table below to perform the functions of the competent authority in respect of the special railway project as mentioned in column (2) of the Table, for execution, maintenance, management and operation in the State mentioned in Column (3) of the said Table, with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

TABLE

Sl. No.	Special Railway Project	State	Territorial Jurisdiction	Competent Authority
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Chandil (Gundabihar)- Muri doubling (59.49Km.)	West Bengal (23.40 km.); Jharkhand (36.09 Km.)	District: Purulia, West Bengal (23.40 Km.)	Additional District Magistrate (L.A), Purulia, West Bengal.

[F. No. SER/CON-Orgn./HQ/Land/PEC recommended Projects/CNI(GDBR)-MURI doubling/SRP/2]

HARI PRAKASH TRIPATHI, Chief Admin. Officer(Con.)